

श/श/प्र

परावकी पेशा हुई। वकील वादी
उपस्थित। वकील वादी ने न्यायालय
के आदेशों की पालना नहीं की है।
संख्या सं 2016 से इन दोषों के लिए
है। आदिनांक परिवारिकों की तलबी नहीं
है। इस हेतु वकील को अक्सर पर
अक्सर लिये जा चुके हैं और दफ्त
लिये जाने का कोई न्यायसंगत कारण
भी नहीं है। कल वादी की कोट है तथापि
पेशा नहीं करने पर वादी का वास्तविक मोड़
09 दिनांक 5 एपे के इस न्यायसंगत विषय
जुदा है। परावकी प्रथम युक्त है।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दोम (राज.)